अपील सूचना अधिकार संख्या 21/2021 (RCMS 2021/44) (RTI-212217378522725) श्री प्रदीप किराड़ पुत्र श्री राकेश देवी पुत्री श्री रसाला उर्फ रिसाला पत्नी श्री रमेश चन्द्र C/o मैसर्स शिवालया कनस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, मकान नं. 359 सैक्टर 14, रोहतक 124001 (हरियाणा) मोबाईल नं. 9416553112, 9416053112 बनाम 1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर 2. प्रभारी अधिकारी, डी.आर.ए. शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रदीप किराड स्वयं उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री नीरज शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित है।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2021 से राज्य जन सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी जिस पर प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा उसे दिनांक 01.03.2021 से भेजी गई सूचना अधूरी, भ्रामक व दिशाहीन है तथा कई सूचनायें राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेदश) की शर्तें, 1955 की शर्त 9 के अधीन खातेदारी भूधारण (टीनेन्सी) बाबत सूचना देने में आनाकानी की गई है। इसलिए उसने जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं निःशुल्क व सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरित विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं में से जो सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सकती थीं उन्हें दी जा चुकी है एवं प्रार्थना पत्र में पूर्ण विवरण के अभाव में जो सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं था उसके सम्बन्ध में दिनांक 01.03.2021 को अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

मैनें **पत्रावली का अवलोकन** किया। पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनाऐं चाही थी:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. क्या प्रार्थी के नाना रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर को आपके कार्यालय जिलाधीश श्रीगंगानगर फार्म (1) सनद का प्रारूप के रूप में (राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश) शर्ते, 1955) की शर्त 9 के अधीन क्रम संख्या 1074 दिनांक 04.06.1979 में तैयार करके 5एसपीएम गांव /चक में किसी भी प्रकार की कोई सिंचित भूमि खातेदारी भू–धारणा (टीनेंसी) अधिकार प्रदान किये गये थे या नहीं? भू–धारण (टीनेंसी) अधिकार के तहत भू–धारण अधिनियम(टीनेंसी) का अर्थ सरल से सरल शब्दों में वर्णन करते हुए सत्यापित प्रतिलिपि प्रार्थी को लिखित रूप में देकर सूचित करें।
2. क्या प्रार्थी के नाना रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर (राजस्थान) को (राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश) शर्ते, 1955) के तहत खातेदारी भू–धारण (टीनेंसी) अधिकार हेतु आवश्यक शर्ते लिखित रूप से निर्धारित की गई थी या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके (राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश) शर्ते, 1955) की भू–धारण (टीनेंसी) अधिकार की समस्त शर्तें व संशोधित नियमों सहित आज तक की सत्यापित प्रतिलिपि प्रार्थी को लिखित रूप से देकर सूचित करें।
3. क्या प्रार्थी के नाना रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर (राजस्थान) को कार्यालय जिलाधीश श्रीगंगानगर (राजस्थान) के नाम कितनी सिंचाई भूमि 5एसपीएम गांव/चक बतौर खातेदारी भू–धारण (टीनेंसी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकार प्रदान की गई थी? कृपा करके 5 एसपीएम गांव/चक में दी गई सिंचाई भूमि के गांव/चक का नाम, वर्ग संख्या, खसरा संख्या, क्षेत्रफल की विशिष्टयां अर्थात सिचिंत किला नम्बर, असिंचित किला नम्बर, योग व भूमि वर्गीकरण टिप्पणी सहित की लिखित रूप से जानकारी की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

4. क्या प्रार्थी के नाना रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर (राजस्थान) को कार्यालय जिलाधीश, श्रीगंगानगर के द्वारा (राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश) शर्ते, 1955) की शर्त 9 के अधीन खातेदारी भू–धारण (टीनेंसी) अधिकार दी गई उपरोक्त भूमि को किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है या रहन कर सकता है या दान दे सकता है या बैंक के पास गिरवी(रहन) करते का अधिकार रखता है या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके किन–किन शर्तो के तहत रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल को सिंचाई भूमि हेतु करने की इजाजत देता है, कृपा करके सम्बन्धित शर्तो की लिखित जानकारी उसकी सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

5. क्या राजस्थान राज्य के किसी गांव के निर्वाचित सरपंच को शपथ–पत्र को सत्यापित तथा वारिसान प्रमाण–पत्र को जारी करने की शक्ति राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है या नहीं? यदि हाँ तो किस कानून के तहत किन–किन धाराओं में यह शक्ति प्रदान की गई है? इसकी सम्बन्धित लिखित जानकारी प्रार्थी को देकर सूचित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. आपके राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा गांव के सरपंच का चुनाव करवाने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, उस अधिकारी के पद व कार्यालय का पूरा–पूरा पता देकर लिखित जानकारी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
7. आपके राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के तहत नियुक्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व उपतहसीलदार को किसी मृतक व्यक्ति का उससे संबंधित कृषि भूमि बाबत वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है या नहीं? यदि हाँ तो उस अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा–पूरा पता लिखित रूप में देकर प्रार्थी को सूचित करें।

प्रभारी अधिकारी, डी.आर.ए. शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपने पत्रांक डीआरए/आर.टी.आई./2019/614 दिनांक 12.04.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री प्रदीप किराड द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील के संबंध में वस्तुस्थिति की टिप्पणी निम्नानुसार है:

1. यह कि श्री प्रदीप किराड द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाहने संबंधी प्रार्थना पत्र श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से दिनांक 19.02.2021 की डीआरए शाखा को प्राप्त हुआ।
2. यह कि प्रार्थी को उनके प्रार्थ[illegible] के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक [illegible]49 दिनांक 01.03.2021 द्वारा निर्धारित सम[illegible]धि में जवाब भिजवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दिया गया था। प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में अपीलार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि के समय रहते हुए सूचना भिजवा दी गई है।

3. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 2 (II) में अपीलार्थी ने जवाब को आधा, अधूरा, भ्रामक व तथ्यों से परिपूर्ण नहीं बताया है। मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उनके नाना को दिनांक 04.06.1979 को चक 5 एसपीएम में आवंटित भूमि के खातेदारी भू–धारणा (टीनेंसी) अधिकार प्रदान करने की जानकारी चाही थी। तत्समय का खातेदारी संबंधी रिकॉर्ड कार्यालय रिकॉर्ड में जमा हो चुका है। वर्ष 1979 में जारी सनदों के संबंध में कार्यालय रिकॉर्ड शाखा में जमा रिकॉर्ड का निरीक्षण करने पर दिनांक 04.06.1979 को रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर को किसी भूमि का खातेदारी अधिकारी जारी होना नहीं पाया गया। प्रार्थी के नाना को आवंटित भूमि का पूर्ण विवरण यथा मु.नं., पत्थर नं., कि.न. एवं कुल रकबा आदि आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया था। अतः प्रार्थी को सूचित किया गया कि उनके नाना को आवंटित भूमि की विशिष्टियां पूर्ण एवं सही अंकित नहीं होने के कारण खोजकर सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 4 तक प्रश्नात्मक स्वरूप में सूचनाएं [illegible] स्वरूप में चाही गयी सूचनाओं [illegible] नहीं है। [illegible] ने राजस्थान उपनिवेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम 1954 तथा उसके तहत बने राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तो, 1955 में खातेदारी अधिकारों के बारे जानकारी एवं नियमों की व्याख्या एवं सरल शब्दों में वर्णन चाहा था। प्रार्थी को सूचित किया गया कि उक्त अधिनियम/शर्तें खातेदारी अधिकारों के बारे में स्वतः स्पष्ट है कि राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की बेवसाईट पर उपलब्ध है। नियमों की व्याख्या करने का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम में नहीं हैं

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में प्रार्थी द्वारा लिखित सूचना चाही गयी थी जिसके संबंध में प्रार्थी को रजास्थान सरकार की अधिकारिक वेबसाईटों पर उपलब्ध संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग राजस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध परिपत्र दिनांक 13.06.19 की प्रतियां उपलब्ध करवाई गयी है। प्रार्थी द्वारा इन बिन्दुओं पर केवल लिखित जानकारी चाही गयी थी सत्यापित प्रति नहीं चाही थी जिसके संबंध में नियमों के संबंध में वेबसाईट पर उपलब्ध परिपत्र की प्रतिया भिजवाई गयी है।

4. यह कि अपीलार्थी के अनुसार एनैक्शचर ''सी'' के संबंध में सूचना देने में आनाकानी की गयी है। इस संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र के साथ उक्त एनैक्शचर ''सी'' संलग्न नहीं किया गया था। मूल आवेदन पत्र मे प्रार्थी ने अपने नाना की मृत्यु दिनांक 04.06.1979 को आवंटित भूमि के संबंध में सूचना चाही गयी थी जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अब अपील पत्र के साथ संलग्न एनैक्शचर सी खातेदारी सनद के अनुसार उक्त सनद दिनांक 04.06.1974 को जारी हुई है। इस प्रकार अपीलार्थी /प्रार्थी ने अपने मूल आवेदन पत्र में गलत तिथि अंकित की गयी है जिसके कारण सही सूचना तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। अब अपील पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा एनैक्शचर ''सी'' संलग्न किया गया है जिससे सनद जारी होने की सही तिथि स्पष्ट होने पर तदनुसार सनद की प्रति उपलब्ध करवाने में कार्यालय को कोई एतराज नहीं है।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 9 में चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक स्वरूप में होने के कारण उनको यह भी अवगत करवाया गया कि आपके द्वारा चाही गयी शेष सूचनाएं प्रश्नात्मक स्वरूप की है एवं अधिनियम नियमों की व्याख्या चाही गयी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नात्मक रूप में चाही गयी सूचना देने खोजकर सूचना उपलब्ध करवाने तथा अधिनियम/नियम की व्याख्या/अर्थ करके देने का कोई प्रावधान नही है।

वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/ अपीलार्थी के द्वारा चाही गयी सूचनओं मे से सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सकती थी उन्हें दी जा चुकी है एवं प्रार्थना पत्र में पूर्ण विवरण के अभाव में सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं [illegible] के पत्र क्रमांक डीआरए/अ[illegible] 01.03.2021 द्वारा निर्धारि[illegible] करवा दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकरी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्यात करना या आवेदक द्वारा उठाई गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। ऐसी सूचना जिसके हिस्से अलग–अलग लो प्राधिकरणाों के अधिकार क्षेत्र में हो को एकत्र करना भी सूचना का सृजन माना जाता है। इसके साथ ही विशेष रूप से चाही गयी सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।

अतः अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-

सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी
जिला राजस्व लेखा शाखा
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से समयावधि ने दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और **प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चा**[illegible]य पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय [illegible] करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में** [illegible]**यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है किन्तु न्यायहित में प्रभारी अधिकारी राजस्व लेखा शाखा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा यदि वांछित सनद का सही विवरण पेश कर दिया जाता है और वह कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध है तो उसकी प्रति अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.0[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:44 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर